अनुसूचे 14 — फारम सं० 563

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी ता० सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | **<u>न्यायालय, उपायुक्त,राँची।</u>**<br><br>वन अधिग्रहण अपील वाद सं० 71 आर 15 सन 03—04<br>खेमलाल शर्मा बनाम राज्य।<br><br>खेमलाल शर्मा पिता विजय शर्मा, निवासी रातु रोड थाना सुखदेवनगर जिला राँची द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी—सह वन प्रमण्डल पदा० राँची पूर्वी वन प्रमण्डल के द्वारा दिनांक 18.10.02 को अधिग्रहण वाद सं० 26/2001 में पारित आदेश के विरूद्ध सह अपील दायर की गई हैं।<br><br>वन प्रमण्डल पदा० खूँटी वन प्रमण्डल, खूँटी ने अपने पत्रांक 432 दिनांक 17.3.2010 द्वारा सूचित किया है कि राँची जिला के विभाजन के पश्चात् अब उपायुक्त सह अपीलीय अधिकारी,खूँटी का न्यायालय इस मामले की सुनवाई के लिये सक्षम हैं। इस मामले को उपायुक्त सह अपीलीय अधिकारी,खूँटी के न्यायालय में अन्तरित करने का अनुरोध किया गया है। अतः इस मामले को निष्पादन हेतु उपायुक्त सह अपीलीय पदाधिकारी,खूँटी के न्यायालय को अन्तरित किया जाता हैं।<br><br>19/03/10<br>उपायुक्त,राँची।<br><br>(लेखापित एवं संशोधित)<br>उपायुक्त,राँची। 19/03/10 | |